न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

मु.न. 05 / 2022

प्रार्थी

1. लीलाराम पुत्र उमाराम
   जाति कलबी निवासी नई उन्दरी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उकाराम पुत्र हरदाराम
2. भूराराम पुत्र हरदाराम
3. वालाराम पुत्र हरदाराम
4. मांगाराम पुत्र उमाराम
5. नगाराम पुत्र उमाराम
6. रामाराम पुत्र गिरधारीराम
7. पेमाराम पुत्र नेथीराम जरिये वलिदा माता सीतादेवी पत्नी नेथीराम
8. सीतादेवी पत्नी नेथीराम
   जाति कलबी निवासी नईउन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 2/9/2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम नई उन्दरी पटवार क्षेत्र खुडाला तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 84 क्षेत्रफल 3.2573 हैक्टयर में आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौसी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3597 ग्राम नई उन्दरी में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 84 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 87 ग्राम नई उन्दरी में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी ... से 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थी के प्रार्थना ... प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व ... विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खसरा नम्बर 87 में से रास्ते का उपयोग नहीं करता है, विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या ... लिये खसरा संख्या 86 में से सबसे नजदीकी विकल्प है इसलिये प्रार्थी को खसरा संख्या में से रास्ता दिया जावे। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 656 दिनांक 22.04.2022 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

84 से सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 87 में से होकर गुजरना ही सबसे नजदीकी एवं एक मात्र विकल्प है, तथा पूर्व से ही प्रार्थीगण द्वारा इसी रास्ते का उपयोग अपनी खातेदारी भूमि खसरा 84 से कटान मार्ग तक पहुंचने के लिये उपयोग में ले रहे हैं। विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 87 में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 33 गट्ठा चौड़ाई 2 गट्ठा है जिसका कुल रकबा 0-0243 हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है, भूमि मौके पर खाली है, जिसे बरंग लाल नजरी नक्शा में प्रस्तावित कर रास्ता राजस्व रेकर्ड रेकर्ड में अपलिखित किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक 656 दिनांक 22.04.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''लाल रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 84 ग्राम नई उन्दरी में आने-जाने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की आराजी ग्राम नई उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 87 में से लम्बाई 33 गट्ठा तथा चौडाई 2 गट्ठा कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु बरंग ''लाल'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदा[illegible]णना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण [illegible] के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति रा[illegible]के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित [illegible] की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/9/2022 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:18 IST
Reason: SelfAttested